†ध्याय - 26

विशेष श्रे⁄ ायों ^` लिए रोज ै ार सहायता

26.1 रोज ै ार सेवा ^` अत ै ित पूर्व ^ ी तरह ही महिलाओं, अ.जाति/अ.जाजाति, वि ^ लां ै ा तथा वि ^ लां ै ा भूतपूर्व सैाि ^ ों जैसे ^ मजोर व ै ों ^ ी विशेष आवश्य ^ ताओं ^ ो पूरा ^ राो ^` लिए प्रयास जारी र ℸ ो ै ाए हैं।

महिलाएँ

26.2 वर्ष 2000-2005 ^` दौराा महिला आवेद ^ ों ^` संदर्भ में रोज ै ार ^ ार्यालयों ^ ा वर्ष वार ािष्पादा तालि ^ ा 26.1 में दर्शाया ै ाया है।

†ाुसूचित जाति/आुसूचित जाजाति

26.3 वर्ष 2003 ^ ी अवधि ^` दौराा आुसूचित जाति/आुसूचित जाजाति तथा अय पिछड़े व ै ों ^` रोज ै ार चाहो ^` लिए रोज ै ार ^ ार्यालयों द्वारा ि^ ए ै ाए ^ ार्यो ^` ािष्पादा ^ ा ब्यौरा तालि ^ ा 26.2 में दिया है :-

†ाुसूचित जाति/आूसूचित जाजाति ^` रोज ै ार चाहो वालों ^` संबंध में विशेष जाा ^ ारी

- †ाुसूचित जाति ^` रोज ै ार चाहो वालों ^ ी सं ℸ या 1994 ^ ी तुलाा में 2003 में 49.9 ला ℸ ा से बढ़ ^ र 66.3 ला ℸ ा हो ै ाई, जिससे 32.9 प्रतिशत ^ ी वृद्धि हुई।
- †ाूसूचित जाजाति ^` रोज ै ार चाहो वालों ^ ी सं ℸ या 1994 ^ ी तुलाा में 2003 में 13.78 ला ℸ ा से बढ़ ^ र 23.10 ला ℸ ा हो ै ाई।
- वर्ष 2003 ^` अंत में आुसूचित जाति एवं अ-ाुसूचित जाजाति ^` रोज ै ार चाहो वालों ^ ी सं ℸ या ^ुल सं ℸ या ^ ा ^ मश: 16.0 एवं 5.6 प्रतिशत थी।
- †ाुसूचित जाति ^` रोज ै ार चाहो वालों ^ ी ि-ायुक्तियों की संख्या 1994 की तुलाा में 2003 में 29.7 हजार से घटकर 19.2 हजार रह गई।

†ध्यापा सह मार्गदर्शा केद्र

26.4 आुसूचित जाति एवं आुसूचित जाजाति के लिए 22 अध्यापाा सह मार्गदर्शा केद्र स्थापित किए गए हैं जो दिल्ली, जबलपुर, काापुर, चेन्नई, हैदराबाद, तिरुआंतपुरम, कोलकाता, जयपुर, राँची, सूरत, आइजोल, बंगलौर, इम्फाल, हिसार, ाागपुर, भुव-ोश्वर, गुवाहाटी, मंडी, कोहिमा, जोवई, जम्मू और जालंधर में ^ ार्य ^ र रहे हैं। इामें से ए^ ^`द्र जो जोवई में है अभी भी पू ⁄ ा रुप से ^ ार्यरत होा ^ ी प्रि^ या में है। इा ^`द्रों ^` ^ ार्य ािमिलिℸ ात हैं :-

- †ाुसूचित जाति एवं आुसूचित जाजाति ^` शिाि ⁄ ात पंजी ^ृत उम्मीदवारों ^ ो व्यवसाय संबंधी प्रशि ⁄ ा ⁄ ा एवं मा ै ार्दर्शा देाा।
- ाियोक्ताओं द्वारा बुलाए जाा ^` समय संभावित परी ⁄ ाा ^` प्र ^ ार/सा ⁄ ाात्^ ार ^ ा सामाा ^ रो और आजीवि ^ ा ^ ी अपे ⁄ ााओं संबंधी जाा ^ ारी उपलब्ध ^ रा-ाा।
- †ारा⁄ ात रिक्तियों ^` प्रति संप्रेष ⁄ ा ^ ा परि ⁄ ााम जााा ^` लिए ाियोज ^ ों ^` साथ उपयुक्त आुवर्ती ^ ार्रवाई ^ राा।
- रोज ै ार चाहो वालों ^` लिए आत्मविश्वास सृजा ^ ार्य ^ म ^` अंत ै ात व्यवसाय सूचाा/मा ै ार्दर्शा और ािर्देशा देा ^` साथ-साथ वि ^ ास ^ ार्य संबंधी ^ ार्य ^ राा।
- †ाुसूचित जाति एवं आुसूचित जाजाति के अभ्यर्थियों को टंकण एवं आशुलिपि में अभ्यास की सुविधाएं प्रदाा कराा। यह सुविधाएं अध्यापाा सह मार्गदर्शा केद्र आइजोल, हिसार, भुवोश्वर, गुवाहाटी, मंडी, कोहिमा, जोवई, जम्मू और जालंधर ^` अतिरिक्त अय सभी ^`द्रो में उपलब्ध हैं।

- विभिन्न ायोक्ता प्राधि ^ ारियों तथा ायोज- ा ^ र्त्ता एजेंसियों ^` सहयो े ा से े ्रुप-सी पदों हेतु ^ र्मचारी चया आयो े ा, इत्यादि द्वारा आयोजित f^ ए जाो वाले प्रतियो े ाी परी ƒ ााओं ^` माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. ^ ` अभ्यर्थियों ^ ी रोज े ारपर ^ ता में सुधार हेतु समय-समय पर भर्त्ती पूर्व प्रशि ƒ ा ⁄ ा ^ ार्य ^ म में आयोजित ^ रा।

†ुसूचित जाति/आुसूचित जाजाति हेतु विशेष अध्यापा योजाा

विशेषताएं :-

- रोज े ाार एवं प्रशि ƒ ा ⁄ ा महाादिेशालय द्वारा दिल्ली एवं े ााजियाबाद में आुसूचित जाति एवं अ-ुसूचित जाजाति ^` अभ्यर्थियों ^ ो समूह 'े ा' पद ^` लिए प्रतियो े ाात्म ^ परी ƒ ााओं/चुााव परी ƒ ााओं हेतु तैयार ^ रो ^` लिए ए^ विशेष अध्यापा योजाा भी चलाई जा रही है।
- †भी त ^ 22 चर ⁄ ाों त ^ 6498 आुसूचित जाति/आुसूचित जाजाति ^` रोज े ाार ^` इच्छु ^ ^ ार्मि ^ ाें ो लिपि ^ /आशुलिपि ^ पदों ^` लिए सफलतापूर्व ^ अध्यापा पूरा f^ या। 23वां चर ⁄ ा 01.07.2005 से चल रहा है।
- ‡स प्रशि ƒ ा ⁄ ा ^ ी अवधि 11 माह है तथा प्रशि ƒ ुओं ^ ो 175 रु0 प्रतिमाह ^ ी दर से वृति ^ ा प्रदाा ^ ी जाती है साथ ही, ाि:शुल^ पाठ्य पुस्त ^` एवं सीमित ले ेा साम े ्री भी दी जाती हैं।
- विशेष अध्यापा योजाा के फायदों को दृष्टि में रखते हुए यह योजाा छ: केद्रों जो कि काापुर, क ोलकाता, बंगलोर, हैदराबाद, राँची और सूरत में हैं, 1992 से आगे बढ़ा दी गई हैं।
- ‡स योजाा के 10 चरणों में आुसूचित जाति/अ-ुसूचित जाजाति के 2217 अभ्यर्थियों ो सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया। 11वां चरण 01.07.2005 से चालू है।
- †ागे यह योजाा 1999 से छ: अय केद्रों गुवाहाटी, इम्फाल, हिसार, जबलपुर, चेन्नई, तथा तिरुआंतपुरम में लागू की गयी एवं 691 विद्यार्थियों ो चार चरणों में सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया। पांचवां चरण 01.07.2005 से चालू है।

†ुसूचित जाति/आुसूचित जाजाति के अभ्यर्थियों हेतु विद्यमाा अध्यापा-सह-मार्गदर्शा केद्रों में ाए पाठ्यक्रम आरंभ कराा।

26.5 यह योजाा फरवरी 2004 से आरंभ की गई। वर्ष 2004-2005 के दौराा एपटेक लि. के माध्यम से 12 स्थाों पर इस योजाा की सहायता से आुसूचित जाति/आुसूचित जाजाति के 467 रोजगार चाहो वालों क ो 6 माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदाा कराा संभव हो पाया। बंगलौर, भुवोश्वर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हिसार, हैदराबाद, जयपुर, जबलपुर, कोलकाता, ाागपुर एवं सूरत स्थित 12 अध्यापा -सह-मार्गदर्शा केद्रों को वर्ष 2004-05 के दौराा 12 स्थाों पर एपटेक लि. के साथ आिवार्य संयोजा प्रदाा किया। योजाा के अधीा उक्त 12 स्थलों में दो और स्थलों ाामत: काापुर एवं तिरूआंतपुरम को शामिल करते हुए अर्थात् 14 स्थलों में आुसूचित जाति/आुसूचित जाजाति के 518 रोजगार चाहो वालों क ी सीट क्षमता वाला दूसरा प्रशिक्षण सत्र अक्तूबर,2005 से जारी है।

26.6 आुसूचित जाति/आुसूचित जाजाति हेतु 22 अध्यापा-सह-मार्गदर्शा केद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इा केद्रों के माध्यम से अ.जा./अ.ज.जा. के रोजगार चाह-ोवालों को व्यावसायिक मार्गदर्शा तथा विश्वास सृजा में प्रशिक्षण प्रदाा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, 13 अध्यापा-सह-मार्गदर्शा केद्रों में अ.जा./अ.ज.जा. के रोजगार चाहोवाले को टंकण तथा आशुलिपि के अभ्यास को सुविधाएं प्रदाा की जाती है। ये केद्र समूह-ग तथा स मतुल्य पदों हेतु कर्मचारी चया आयोग, बैंक कार्मिक सेवा संस्थाा इत्यादि द्वारा आयोजित किए जाो वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं में अ.जा./अ.ज.जा. के उ म्मीदवारों की रोजगारपरकता में सुधार लाो के लिए भर्त्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। वर्ष 2005 के दौराा (सितम्बर तक) 8688 उम्मीदवारों ो अध्यापा-सह-मार्गदर्शा केद्रों द्वारा टंकण तथा आशुलिपि अभ्यास को सुविधा प्राप्त की तथा 2182 उम्मीदवारों ो अध्यापा-सह-मार्गदर्शा केद्र द्वारा गठित पूर्व भर्त्ती प्रशिक्षण में भाग लिया।

विकलांग व्यक्ति

रोजगार कार्यालय

26.7 पहले की तरह ही रोजगार सेवा ो रोज े ाार चाहो वाले वि ^ लां े ाों ^ ी विशेष आवश्य ^ ताओं ^ ी पूर्ती ^` लिए अपो प्रयास ल े ाातार जारी रे ो :-

रोज ि ार ^ ार्यालयों ^ ा वि ^ लां ि ा रोज ि ार चाहो वालों से संबंधित ^ ार्य िष्पादा िम्ाुसार है:

(हजार में)

वर्ष	पंजी ^ र ि ा	ियोजा	"ाालू रजिस्टर
2000	64.7	3.3	485.2
2001	60.1	3.5	510.0
2002	59.4	3.4	532.7
2003	55.2	3.9	551.8

"ाालू रजिस्टर पर विकलांग व्यक्तियों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है।

वर्ष 2003 के दौराा ियोजित विकलांग रोजगार चाहो वालों की संख्या 3.9 हजार थी।

विकलांगों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय

26.8 यद्यपि, राष्ट्रीय रोजगार सेवा के अंतर्गत रोजगार कार्यालय सामायता विकलांगों के ियोजा के प्रति उत्तरदायी हैं फिर भी उाके लिए चुांदा ियोजा के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों की स्थापाा भी की गई है।

26.9 ये विशेष रोजगार कार्यालय उाकी अवशिष्ट शारीरिक क्षमता एवं माासिक संभाव्यता के अत्यधिक आुकूल रोजगार प्रदाा करो हेतु प्रयास करते हैं।

26.10 इस समय देश में 43 विशेष रोजगार कार्यालय (अगस्त, 2005 की स्थिति के आुसार) कार्य कर रहे हैं।

26.11 राष्ट्रीय रोजगार सेवा कार्य दल (वर्किंग ि्रुप) तथा विशेष रोज ि ार ^ ार्यालयों ^` पु ि ठा पर ^ ार्यबल ^ ी सिफारिशों ^ ो माते हुए रोज ि ार ^ ार्यालयों में वि ^ लां ि ों ^` रोज ि ार ^ ो बढ़ावा दो ^` लिए विशेष सैलों ^ ी स्थापाा ^ ा ि ि ाय लिया ि ाया।

26.12 सामाजि ^ याय एवं अधि ^ ारिता मंत्रालय द्वारा ^`द्र सर ^ ार से वितपोषित तथा ए^ विशेष ियोजा अधि ^ ारी ^` साथ सामाय रोज ि ार ^ ार्यालयों में वि ^ लां ि ों ^` लिए 38 विशेष सैलों ^ ी स्थापाा ^ ी ि ाई है।

26.13 ये विभिन्न राज्य सर ^ ारों द्वारा रोज ि ार ^ ार्यालयों में वि ^ लां ि ा अभ्यर्थियों ^` लिए ि ोले ि ाए विशेष सैलों/ए^ ^ ों ^` अतिरिक्त हैं।

26.14 वर्ष 2003 ^` दौराा विशेष रोज ि ार ^ ार्यलयों ^ ा ^ ार्य िष्पादा िम्ाुसार है:

पंजी ^ र ि ा	10937
ियोजा	988
"ाालू रजिस्टर	109929

विकलांग व्यावसायिक पुार्वास केद्र

- श्रम और रोजगार मंत्रालय विकलांग व्यक्ति अधिियम, 1995 के उपबंधों के कार्यावया के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी एवं प्रतिबद्ध है। सामाजिक -याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो विकलांगों के कल्याण हेतु प्रमुख मंत्रालय है, से रोजगार एवं प्रशिक्षण महाािदेशालय (डी जी ई टी) ियमित समवया एवं सहयोग करता रहा है।
- देश में, अहमदाबाद, मुम्बई, भुवोश्वर, बंगलौर, कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, जबलपुर, गुवाहाटी, काापुर, लुधियााा, चेन्नई, तिरुआंतपुरम, वड़ोदरा, अगरतला, पटाा, उाा, पांडिचेरी तथा जम्मू में 20 विकलांग व्यावसायिक पुार्वास केद्र कार्य कर हैं, इामें से बडोदरा स्थित व्यावसायिक पुार्वास केद्र पूर्ण रूप से विकलांग महिलाओं हेतु स्थापित किया गया है। ये केद्र विकलांगों की अवशिष्ट कार्यक्षमता का आकला करते हैं और उहें आवश्यकताुरुप प्रशिक्षण प्रदाा करके उाके शीघ्र आर्थिक पुार्वास में सहायता करते हैं। उहें अय उपयुक्त पुार्वास सेवाएं यथा ाौकरी में लगााा, स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण तथा इा प्लांट प्रशिक्षण, प्राप्त करो में भी सहायता करते हैं।
- मुम्बई, अहमदाबाद, बंगलोर, चेन्नई, तिरूआंतपुरम, हैदराबाद तथा काापुर के व्यावसायिक पुार्वास क`द्रों पर विकलांगों के त्वरित पुार्वास हेतु 7 कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएँ (एसटीडब्लयू) स्थापित की गई हैं। इा केद्रों पर औपचारिक रोजगारोमुख कौशल प्रशिक्षण प्रदाा किया जाता है।
- "ाल कैम्पों तथा 5 व्यावसायिक पुार्वास केद्रों यथा, मुम्बई, कोलकाता, काापुर, लुधियााा तथा चेन्नई के अंतर्गत 11 ब्लॉकों में स्थापित ग्रामीण पुार्वास

विस्तार केद्रों (आर.आर.ई.सी.) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहो वाले विकलांगों के लिए भी पुार्वास सेवाओं का विस्तार किया गया है।

26.15 जावरी 2005 से दिसम्बर 2005 के दौराा 20 व्यावसायिक पुार्वास केद्रों का कार्यािष्पादा तालिका 26.3 पर दिया गया है।

विकलांग भूतपूर्व सैाकों तथा आश्रितों को सहायता

26.16 भूतपूर्व सैाकों के लिए आरक्षित तथा प्राथमिकता श्रेणियों के लिए चिह्नित रिक्तियों पर विकलांग भूतपूर्व सैाकों/सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों तथा रक्षा बल कार्मिकों अथवा रक्षा सेवा कार्मिकों के आश्रितों/मारे गए सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों अथवा युद्ध में गंभीर रूप से विकलांग कार्मिकों को ाियोजा सेवाएं प्रदाा करो के लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महाािदेशालय में एक भूतपूर्व सैाकि सैल की जुलाई, 1972 में स्थापाा की गई । तदनुरुप, विशेष सेवाओं के लाभ के कार्यक्षेत्र का फरवरी, 1991 से मिलिट्री सेवा में मृत्यु अथवा विकलांगता पर युद्ध और शांति काल के दौराा हुए विकलांग भूतपूर्व सैाकों के साथ-साथ शांति काल में मारे गए अथवा गंभीर रुप से विकलांगों के आश्रितों के लिए भी विस्तार किया गया । अक्तूबर, 2005 के अंत में 223 विकलांग सैाक तथा 2329 आश्रित, भूतपूर्व सैाकि सैल के माध्यम से रोजगार पाो की प्रतीक्षा में थे।

†ल्पसंख्यक

- राष्ट्रीय जाजीवा के सभी क्षेत्रों में अल्पसंख्यकों के लिए पूर्ण एकजुटता के प्रधाामंत्री के ािर्देश को माातेे हुए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे यह सुाािश्चित करें कि रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण और ाामों की सूची भेजो के मामलों में अल्पसंख्यक समुदायों के साथ कोई भेदभाव ाहीं किया जाए।

- †ल्पसंख्यकों के पंजीकरण तथा ाियोजा के मामले में हुई प्रगति तथा अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में चल-रोजगार कार्यालय पंजीकरण आयोजित करो के लिए रोजगार कार्यालयों को ािदेश दो की भी राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

- कुल मिलाकर दिसम्बर, 2003 के अंत में भारत के सभी रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित रोजगार चाहो वालों की संख्या 60.1 लाख थी । यह चालू रजिस्टर में रोजगार चाहो वालों की कुल संख्या का 14.5 प्रतिशत है।

तालिका 26.1

(हजार में)

वर्ष	पंजीकरण	ाियोजा	महिलाओं का चालू रजिस्टर	कुल चालू रजिस्टर	कुल चालू रजिस्टर में महिलाओं के चालू रजिस्टर की प्रतिशतता
2000	1646.3	35.7	10457.3	41343.6	25.3
2001	1540.8	31.5	10884.8	41995.9	25.9
2002	1343.1	25.9	10649.5	41171.2	25.9
2003	1448.8	26.7	10752.3	41388.7	26.0
2004	1551.5	24.5	10711.6	40457.6	26.5
2005 (जावरी-अगस्त)	992.6	20.9	10708.2	39815.0	26.9

तालिका 26.2

(लाख में)

		2002	2003
†ुसूचित जाति	पंजीकरण	7.28	7.05
	ाियोजा	0.18	0.19
	“ाालू रजिस्टर	63.51	66.28
†ुसूचित जाजाति	पंजीकरण	2.41	3.47
	ाियोजा	0.08	0.08
	“ाालू रजिस्टर	19.47	23.10
†य पिछड़ी जाति	पंजीकरण	8.89	9.23
	ाियोजा	0.13	0.17
	“ाालू रजिस्टर	79.05	82.32

तालिका 26.3

•ाावरी-सितम्बर 2005 के दौराा ाष्पिादा							
क्र सं.	विवरण	ोत्रहीा	मूक व बधिर	†स्थि विकलांग	†ांशिक रूप से कुष्ठ रोगी	†ांशिक रूप से मंदबुद्धि	योग
1.	2005 के आरम्भ में उम्मीदवारों की संख्या	53	34	147	1	5	240
2.	2005 के दौराा प्रवेश प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या	1540	2896	15877	139	485	20937
3.	2005 के दौराा मूल्याँकित उम्मीदवारों की संख्या	1519	2830	15646	138	468	20601
4.	मूल्याँका पूरा किए बैगेर केद्र छोड़ो वाले उम्मीदवारों की संख्या	3	30	160	-	5	198
5.	सितम्बर 2005 के अत में अभी भी मूल्याँकााधीा उम्मीदवारों की संख्या	71	70	218	2	17	378
6.	•ाावरी-सितम्बर 2005 के दौराा पु-ार्वासित उम्मीदवारों की संख्या	341	1301	6209	116	120	8087

******